न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/116

मिसल नम्बर– 39 / 2024

भगवान सिह अस्थाना उर्फ भगवान स्वरूप अस्थाना उम्र 87 वर्ष पुत्र श्री शिव नारायण अस्थाना निवासी पुराहित जी की टापरी नहर रोड कोटा जंक्शन (पुलिस थाना रेलवे कॉलोनी कोटा)

प्रार्थी।

बनाम

1.कपिल सक्सेना पुत्र नामालूम उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी पुराहित जी की टापरी नहर रोड कोटा जंक्शन

2.राखी कथित पत्नी श्री सुनील अस्थाना उम्र लगभग 42 वर्ष निवासी पुराहित जी की टापरी नहर रोड कोटा जंक्शन

3.सुनील अस्थाना पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद अस्थाना जाति कायस्थ निवासी अरनेठा स्टेशन के पास कृषि फार्म जिला हाल निवासी बतौर लाइसेंसी भगवान सिंह अस्थाना का मकान, पुराहित जी की टापरी नहर रोड कोटा जंक्शन

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 3.1.25

उपस्थितिः–

1.श्री ओ0पी0 सिंह प्रार्थी अधिवक्ता।

2.श्री सतीश पचौरी अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेष हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पुरोहित जी की टापरी नहर रोड कोटा जंक्षन का निवासी एक 87 वर्षीय नागरिक है एवम अपनी पत्नि चित्रा अस्थाना उम्र 82 वर्ष के साथ अपने स्वयं के स्वामित्व के मकान में निवास कर रहा है। माननीय न्यायालय को यहॉ यह अवगत कराना उचित होगा कि प्रार्थी रेलवे (वर्कशॉप) से सेवानिवृत कर्मचारी है एवम दुर्भाग्यवश प्रार्थी के कोई पुत्र संतान नहीं है। प्रार्थी के तीन पुत्रियाँ हैं जिनके नाम रेनू, ज्योति एवम रश्मि हैं। प्रार्थी ने अपनी तीनो पुत्रियों के विवाह कर दिया है एवम विवाह के बाद अपनी अपनी ससुराल में अपने अपने पतियों के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। प्रार्थी की बड़ी पुत्री रेनू भटनागर की सितम्बर 2021 में मृत्यु हो चुकी है। उपरोक्त परिस्थितियों एवम मजबूरियों के कारण प्रार्थी ने वर्ष 2008 के दिसम्बर माह में अपने छोटे भाई ईश्वरी प्रसाद अस्थाना के पुत्र सुनील अस्थाना जो उस समय अपने पारिवारिक कलह के कारण परेशान था को अपने मकान के सामने वाले कमरे में इस शर्त के साथ बतौर लाईसेंसी रख लिया कि वह प्रार्थी व प्रार्थी की वृद्ध पत्नी श्रीमति चित्रा अस्थाना की देखभाल करेगा एवम प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी को खाना पीना व चाय पानी आदि बना कर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

देगा, प्रार्थी ने सुनील अस्थाना को यहाँ तक छूट दे दी की प्रार्थी अपना खाने पीने का व चाय पानी साग सब्जी के खर्चा स्वयं वहन कर लेगा, सुनील सिर्फ हमें खाना पीना व चाय आदि बनाकर सम्मानपूर्वक देगा व बुढ़ापे में हम दोनों का सहारा बनेगा। किन्तु ऐसा नहीं हुआ प्रारंभिक अवस्था में सुनील अस्थाना (प्रार्थी का भतीजा) ठीक ठाक रहा किन्तु कुछ दिनों बाद सुनील अस्थाना ने अपने आवासीय भाग के अपने हिस्से की बिजली का बिल देना बंद कर दिया इस कारण प्रार्थी ने सुनील के पिता के अनुरोध पर अलग से विधुत कनेवशन की अनुमति दे दी। सन 2009 में सुनील अस्थाना के पत्नी भावना ने आत्महत्या कर ली थी इस कारण सुनील के ऊपर दहेज हत्या का केस भी चला किन्तु न्यायालय द्वारा सुनील को निर्दोष घोषित किया गया। सुनील की पत्नि भावना व सुनील के wedlock से एक पुत्री मौजूद है जिसका नाम याशी है एवम वर्तमान में कक्षा 10 में पढ़ती है व दसवीं की परीक्षा दी है । उपरोक्त घटना क्रम से एवम मानसिक अवसाद के कारण सुनील अस्थाना लम्बे समय तक प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी की देखभाल नहीं कर पाया एवम इसी घटना क्रम के कारण प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी ने अपने अपने देखभाल न होने पर सुनील अस्थाना के साथ कोई शिकवा शिकायत भी नहीं की। सुनील अस्थाना के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा समाप्त होने व उक्त मुकदमे में दोषमुक्त होने के बाद सुनील अस्थाना अपने साथ एक राखी सक्सेना नामक महिला को साथ ले आया जो वर्तमान में कथित पत्नी के रूप में सन 2012 से ही सुनील के साथ रह रही है। राखी सक्सेना के साथ उसके पूर्व पति (नाम नामालूम) के wedlock से पैदा एक लड़के जिसका नाम कपिल सक्सेना है को साथ लाई थी जो वर्तमान में सुनील अस्थाना व सुनील सक्सेना के साथ रह रहा है। वर्तमान में उक्त लड़के कपिल सक्सेना की उम्र लगभग 19–20 वर्ष है (जिसे आगे प्रतिपक्षी क्रम–1 के रूप में संबोधित किया गया है)। प्रति पक्षी क्रम –1 व 2, दोनों ही प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी के साथ लगभग 2–3 वर्ष से अभद्र एवम क्रूर व्यवहार करते हैं एवम प्रतिपक्षी क्रम 3 भी इन दोनों (प्रतिपक्षी क्रम–1 व 2) के उकसाने पर प्रार्थीगण के साथ क्रूर व्यवहार करता है। इन कारणों से प्रार्थीगण ने अपनी दोनों पुत्रियों (1) ज्योति सक्सेना पत्नी अलोक चंद सक्सेना निवासी मकान स०–247, स्ट्रीट रोड, अयोध्या नगर, MIG रोड, भोपाल एवम (2) श्रीमति रश्मि भटनागर पत्नी स्वपनिल सहाय भटनागर, निवासी भटनागर भवन, सीमेंट रोड, झालावाड, दोनों बारी बारी से एक एक करके प्रार्थीगण के पास आती है किन्तु प्रतिपक्षीगण, प्रार्थी की पुत्रियों के साथ भी क्रूर व्यवहार करते है साथ ही प्रार्थी की पुत्रियों को भी प्रार्थी के पास आने से मना करते हैं। यहाँ तक कि प्रतिपक्षी क्रम 1 तो प्रार्थी व उसकी पुत्री को यह भी धमकी देता है कि किसी दिन हम दोनों के कमरे में तेल छिड़क कर आग लगा देगा। प्रार्थी व प्रार्थी के परिजनों को प्रताड़ित करने के उदेश्य से प्रतिपक्षी क्रम 2 ने अपने कथित भाई दीपू को भी कुछ दिनों पहले अपने घर बुला लिया है। दिनांक 20–04–2024 को प्रतिपक्षी कपिल सक्सेना ने प्रार्थीगण की देखभाल करने भोपाल से आई पुत्री श्रीमति ज्योति सक्सेना के साथ मारपीट की एवम जब प्रार्थी क्रम 1 का छोटा भाई ईश्वरचंद अस्थाना प्रार्थी की पुत्री ज्योति सक्सेना को बचाने आया तो प्रतिपक्षी क्रम 1 कपिल सक्सेना ने ईश्वर चंद अस्थाना का भी गला दबाकर नीचे गिरा दिया एवम प्रार्थी जो चलने फिरने में लगभग असमर्थ है एवम प्रार्थी की पत्नी के साथ भी मारपीट की और धमकी दी कि तुम दोनों को तेल छिड़क कर जला दूंगा। उपरोक्त घटना क्रम से दुखी होकर व डरकर प्रार्थी की पुत्री ज्योति सक्सेना जो भोपाल से प्रार्थी की देखभाल करने आई हुई थी शीघ्र अति शीघ्र पुलिस थाना रेलवे कॉलोनी गई व घटना की सूचना वहां मौजूद ए0एस0आई0 देवकरण को दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जिन्होंने ज्योति सक्सेना को संक्षिप्त में लिखित रिपोर्ट देने को कहा। ज्योति सक्सेना ने जल्दबाजी में जो रिपोर्ट लिखकर ड्यूटी ऑफिसर ए0एस0आई0 देवकरण को दी उसकी एक प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न है जिस पर पुलिस एजेंसी द्वारा कोई उचित एवम कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 20–04–2024 की घटना के बाद प्रार्थी ने दिनांक 21–04–2024 को प्रतिपक्षीगण को मौखिक रूप से आदेश दिया कि प्रतिपक्षीगण प्रार्थी के स्वामित्व के कमरे जिसमे प्रतिपक्षीगण बतौर लाईसेंसी निवास कर रहे है, खाली कर दें किन्तु प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थी क्रम 1 के स्वामित्व के कमरे को खाली नहीं किया यहाँ तक कि पुलिस अधिकारीयों से प्रार्थी की पुत्री ने गुहार लगाई तो भी कोई कार्यवाही नहीं की गई एवम पुलिस अधिकारीयों के व्यवहार से ऐसा प्रतीत हुआ कि The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007 राजस्थान सरकार द्वारा उपरोक्त अधिनियम के तहत निर्मित Rajasthan Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Rule 2010, पुलिस प्रशाषन के लिए कोई महत्व नहीं रखते (kindly refer the Provisions of Rule No& 21 and its Sub Rules)

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रार्थी एवम प्रार्थी की पत्नी व पुत्रियों की Life & Property को protect करते हुए प्रतिपक्षीगण को बतौर लाईसेंसी दी गई आवासीय सुविधा को निरस्त मानते हुए प्रतिपक्षीगण एवम प्रतिपक्षी क्रम 2 के भाई दीपू सक्सेना को प्रार्थी क्रम 1 के स्वामित्व के मकान से शीघ्र अति शीघ्र पुलिस इमदाद के माध्यम से बेदखल किया जाये, एवम पुलिस अधिकारीगण को निर्देश दिये जाये कि सम्बंधित अधिकारीगण प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान Rajasthan Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Rule 2010 Rule No-21 के अनुसार प्रार्थीगण की Life & Property को protect करें। अन्य कोई न्योयोचित सहायता जो माननीय न्यायालय की दृष्टि में प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार देय हो प्रार्थीगण को मय खर्चा मुकदमा दिलाई जाये।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः जवाब का अवसर बंद किया गया।

प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया। अप्रार्थीगण की ओर से बहस नही की गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत फर्द दस्तावेज बेचान नामा दिनांक 23.02.1970 एवं अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम 4 कोटा का अवलोकन किया गया। बेचाना नामा दिनांक 23.02.1970 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त विवादित मकान प्रार्थी के द्वारा क्रय किया गया है जिस कारण विवादित मकान प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 20.06.2024 को जवाब प्रार्थना पत्र अन्तरिम सहायता प्रस्तुत किया गया। जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया है कि उपरोक्त मकान एक सामलाती हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति है जिसको भगवान सिंह अस्थाना, ईश्वरी प्रसाद अस्थाना व ईश्वर चंद अस्थाना ने सामलाती रूप से खरीद कर बनवाया है जिसके बंटवारे का सिविल दावा माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला जज क्रम 4 कोटा में जैरकार है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत से न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 4 कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2024 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त मकान के सम्बंध में ईश्वरी प्रसाद अस्थाना का प्रथम दृष्टया मामला न मानते हुये प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अप्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में भी उपरोक्त मकान में अपने स्वामित्व सम्बंधी किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। जिस कारण से प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथन उचित होते है। मकान पुराहित जी की टापरी नहर रोड कोटा जंक्शन राज0 प्रार्थी की स्व–अर्जित सम्पत्ति हैं, जिसमें प्रार्थी अपनी इच्छानुसार जिसे रखना चाहे, उसको रखने हेतु स्वतंत्र हैं। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के द्वारा प्रताडित किया जा रहा है। जिससे प्रार्थी त्रस्त है। अतः प्रार्थी को वृद्धावस्था में सम्मानजनक एवं शांतिपूर्वक जीवन जीने से वंचित होना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को प्रार्थी के मकान पुराहित जी की टापरी नहर रोड कोटा जंक्शन राज0 से बेदखल किया जाता हैं तथा दौरानें बेदखली कार्यवाही किसी प्रकार की शांतिभग ना हो इसलिये तहसीलदार लाडपुरा को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर थानाधिकारी रेल्वे कॉलोनी कोटा को आदेशित किया जाता हैं कि मय जाप्ता मौंके पर उपस्थित रहें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 31/1/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा